

**आरोप्यः
राज्य प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश सरकार।**

संख्या— प्राथम/परिषद/सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ, दिनांक 19-9-2019

आरोप्य द्वारा

प्रतिबन्धित आरोप्य द्वारा प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा संविदा 2019-20 के अन्तर्गत प्रथम (अ-श्री) शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किया जाने के सम्बन्ध में प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा संविदा से सम्बद्धता/सम्बद्धता विभाग प्रदान किया जाने हेतु दिनांक 19-9-2019 को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा संविदा 2019-20 की सम्बद्धता व प्रथम आरोप्यता में प्रथम प्रवेश हेतु दिनांक 19-9-2019 को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति को विचार के पत्र-तार में दिनांक 19-9-2019 को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

ऐसी नवस्थापित शिक्षण संस्थाएं इन प्राथमिक संस्थाओं में 2019-20 हेतु ए0आइ0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, परंतु पी0सी0आई0 द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है, एवं परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षणोपरान्त ए0आइ0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदित मादयक्रमों के अनुरूप सत्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी है, के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि ऐसी संस्थाओं को पी0सी0आई0 अनुमोदन पत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त प्रथम वर्ष में प्रवेश के संबंध में बैठक आयोजित कर ली जाये जिससे संबंधित संस्थाओं को संतुष्ट प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग में सम्मिलित कराया जा सके।"

अतः निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की निरीक्षण समिति एवं विचार-विमर्श द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अन्तर्गत पर प्राथमिक शिक्षा परिषद को प्रो संखनक द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन मादयक्रम एवं उच्चरी अतिरिक्त प्रवेश संस्था हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है—

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	मादयक्रम का नाम	ए0आइ0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश संस्था	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश संस्था
1	2003	प्रतिबन्धित प्रथम-श्री आर. कार्मेली एम्स शिक्षा, प्रथम-श्री प्रथम-श्री उत्तर-प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ-226013	प्राथमिक शिक्षा	है	है

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आइ0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित/की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा 1992 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क भी तदनुसार ही प्रदाय करेगी।

**कार्यालय,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1071

तारिख दिनांक 15-9-2020

- कार्यालय प्रारूप -

उत्तर प्रदेश प्राथमिक तजनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/प्राथमिक कार्यालय और इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा संविधि सत्र 2020-21 हेतु जिल्लोगा सारणीक तजनीकी शिक्षा बल्लाओ को अनुमोदन प्रदान किये जाने का उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने हेतु दिनांक 14-08-2020 को अग्रिम प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में संविधि सत्र 2020-21 हेतु आगेदिता नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संघटित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम प्रदेश क्षमता मुक्ति सचिव अल्प काल पर विचार कल्ले हेतु सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता संविधि की बैठक की मता-3 में जिल्लोगा इन कार्यालय पाठ्यक्रम सम्बद्धता करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता संविधि द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

"निजी क्षेत्र में स्थापित जिल्लोगा इन कार्यालय पाठ्यक्रम संघटित करने वाली संस्थाएँ, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीसीआईओ द्वारा उन्हे गण्यवत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीसीआईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर संविधि द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीसीआईओ द्वारा प्रदान अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आइल सम्बद्धता संविधि की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उक्तने अंकित प्रदेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीसीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पीसीआईओ/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	2093 आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, एण्ड डिस्टेंस, जिल्लोज-सोनी परिवस, परगना कुम्हरावा, तहसील-गणसजगंज, उन्धरली।	जिल्लोगा इन कार्यालय	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0डी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1992 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2010 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु०-45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त हेतु रु०-22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शारदा द्वारा निर्मित किये जाने वाले शारदानदेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया

(Handwritten Signature)

कार्यालय,

संघित प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ

संख्या - प्राधिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक 09/08/2021

कार्यालय आर्षः

संघित भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मसी कज-उ-सल और इन्फिन्ट्या, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु द्विपरीभा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, संघित लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करने हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2093-ARYAKUL COLLEGE OF PHARMACY AND RESEARCH, VILL-SEHGO PANCHIM, PARGANA KUMHRAWA, TEHSIL-MAGARAJGANJ, RAEBARELI-229311

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रू०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0पाठ्य से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाता आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अनुनियमों/शासननियमों/निदेशों एवं विदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उच्च, संगठन प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उच्च द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि भी सी आई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और भौतिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संगठन प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई पाठ्य दापर भिजा जाता है तथा दापर वाद के संदर्भ में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संगठन प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तस्कर द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए0आई0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति को जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुयासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ0सं0- प्राशिक्ष/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, ARYAKUL COLLEGE OF PHARMACY AND RESEARCH, VILL-SEHGO PANCHIM, PARGANA KUMHRAWA, TEHSIL-MAGARAJGANJ, RAEBARELI-229311



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव